The Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, and Government of Union Territories (Amendment) Bill, Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।?

और

?कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।?

और

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

? (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose the introduction of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025, the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025 and the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025.(Interruptions)

Sir, this violates the principle of separation of powers, due process and undermines the right of the people to elect a Government.(Interruptions) It gives Executive agencies a free run to become judge, jury and executioner based on flimsy allegations and suspicions.(Interruptions) Sir, it is only when an offence is proved beyond reasonable doubt, that you can leave the post and

the membership.(Interruptions) But here, on a mere accusation or allegation, the punishment of losing one?s Ministerial post will follow.(Interruptions)

Sir, in parliamentary democracies, Chief Ministers and Ministers can only be removed through two means.(Interruptions) The first is that the Prime Minister can recommend their removal and, the second is when the Council of Ministers loses the confidence of the Legislature.(Interruptions) Now, this Bill would empower the unelected Executive at bureaucracy to play the role of the Legislature.(Interruptions)

Sir, it undermines representative parliamentary democracy.(Interruptions) This amendment would leave the Minister and the Chief Minister at the mercy of the Executive agencies. (Interruptions) The severity of the amendment is not only in the fact that one loses his position if he is arrested, but even if he is detained.(Interruptions) That means, detention is an administrative action and does not require an offence to be made.(Interruptions) The Chief Minister and Ministers will not be accountable to the people.(Interruptions)

Sir, the hon. Home Minister read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister I to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice.(Interruptions) Now, this Bill clearly violates Article 74(1). ... (Interruptions)

Sir, this reminds me of the 1933 when Gestapo was formed in Germany.(Interruptions)

This Government is hellbent on creating a police State.(Interruptions) This will be a death knell and leash on elected Governments.(Interruptions) The Indian Constitution is being amended to turn this country into a police State.(Interruptions)

Sir, the Home Minister promised in this House that provisions under Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) which are related to sedation would not be used.(Interruptions) Sir, Sections 316 and 9 of the BNS, and Section 4 of the Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) can be used to destabilize an elected Government.(Interruptions)

That is why, I oppose the introduction of all these three Bills.(Interruptions) This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive.(Interruptions) May I tell the hon. Home Minister that despite his promise on Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita

(BNS), it has been used against a senior journalist Siddharth Varadarajan in Assam also. (Interruptions) That is why I oppose the introduction of these three Bills, Sir. Thank you.

(Interruptions)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of

these three Bills under Rules 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok

Sabha.(Interruptions) This Bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा यह कहता है कि कानून का राज़ होना चाहिए। ? (व्यवधान)

There should be rule of law. उस कानून के राज़ की बुनियाद है कि आप तब तक बेगुनाह हैं, जब तक आपका गुनाह

साबित नहीं किया जाता है। ? (व्यवधान) You are innocent until proven guilty. This Bill stands that

fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the

Prime Minister of India. The second ground on which I have opposed this Bill is this. It violates

Article 21. ? (Interruptions) The due process clause, FIR, arrest, charge sheet, and even framing of

charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are

framed against you. This Bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. The

ground number three is this. It distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by

displacing the will of the people. ? (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील विधेयक है । मेरे दो बिन्दु और हैं । ? (व्यवधान) The fourth

ground is this. ? (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: जी, हां।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब बिल सदन में आए, तब आप डिटेल में चर्चा करना। अभी नियम 72 के तहत विरोध में केवल सारांश

बोलने की परमिशन दी है।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: अध्यक्ष जी, जो रूल 72 है, वह दो चीज कहता है। एक चीज़ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और दूसरी चीज़ जनरल अपोज़िशन ऑफ द बिल है, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। यह इतना संवेदनशील विधेयक है, तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि इस पर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिन्दु और हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कानूनन बात की है, तो कानून यह भी है। मैं आपको रूल 72 के तहत अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षेप में बोलिए। जब डिटेल में चर्चा हो, आप तब बोलिएगा।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: अध्यक्ष जी, मेरे सिर्फ दो बिन्दु और हैं। This Bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the State whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. Finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. ? (*Interruptions*) Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification on conviction, ? (*Interruptions*) This makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं। मैं गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए।? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, I strongly oppose the Bill, the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill as well as the other two Bills. I strongly oppose them on four grounds.

The first ground is that the Bills have to be introduced according to the Rules of Procedure of the House. The Bill is not circulated among the Members. ? (*Interruptions*) Yesterday, we have received a copy of the Bill and I would like to know from the hon. Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a Constitutional Amendment Bill. What is the emergent need of having such a Bill? ? (*Interruptions*) That means the introduction of the Bill itself is lacking bonafides. ? (*Interruptions*) The Bill is lacking in bonafides. ? (*Interruptions*) That is why, I would like to say that this is introduced with a malafide intention to destabilize the opposition ruled States in various parts of the country. ? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्र जी, कह रहे हैं कि यह जल्दबाजी में लाया गया है। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता है कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरख्वास्त करने वाला हूं। ? (व्यवधान) इस पर संयुक्त समिति, जो राज्य सभा और लोक सभा, पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों की बनेगी, वह इस पर विचार करेगी तथा आपके सामने लेकर आया जाएगा।? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I agree with the hon. Minister but at the same time, Members have the right to oppose the Bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every Member to oppose the Bill at the time of introduction of the Bill. ? (*Interruptions*)

*m10SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025; the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025; and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025. ? (*Interruptions*)

These Bills are introduced to sabotage the federal system of this country. These Bills are introduced to sabotage the basic principles of the Constitution of this country. The BJP people are saying that this Bill will bring morality in politics. ? (*Interruptions*) Can I ask a question to the hon. Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested. I would like to know whether he brought morality at that point in time. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह विषय नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गृहमंत्री जी, बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अब जरा मुझे सुनिए। पहले बैठ जाइए। ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । गृहमंत्री जी बोलिए ।

? (व्यवधान)

*m11श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रेकॉर्ड क्लीयर करना चाहता हूं। ? (व्यवधान) मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। ? (व्यवधान) अरेस्ट होने से पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ, ? (व्यवधान) तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। ये हमें क्या नैतिकता सिखा रहे हैं? ? (व्यवधान) मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़ें।? (व्यवधान) हम इतने निर्लज्ज नहीं हो सकते हैं कि हम पर आरोप लगें और हम संवैधानिक पद पर रहें। मैंने अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया था। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप नियम-72 के तहत बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: सर, आपका डायरेक्शन है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम-72 के तहत बोलिए । नियम के तहत बोलिए ।

? (व्यवधान)

*m12श्री के. सी. वेणुगोपाल: सर, आपका डायरेक्शन है।? (व्यवधान) नियम-19 (ए), 19 (बी), कौल एंड शकधर भी है।? (व्यवधान) It very clearly states that at least one major notice is needed for introducing a Bill. This Bill is to target the Opposition. This Bill is to strengthen people like ... and ? .. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज । नहीं-नहीं।

? (व्यवधान)

14.13 hrs

At this stage, Dr. Mohammad Jawed and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र यादव जी बोलना चाहते हैं? कृपया आप पहले अपने दल के माननीय सदस्यों को बैठाएं।

? (व्यवधान)

*m13श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । ये जो तीनों विधेयक आए हैं । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। आपको देश देख रहा है कि आप नैतिकता का कितना विरोध कर रहे हो।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देश आपको देख रहा है। धर्मेन्द्र जी बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: संविधान का 130वां (संशोधन) विधेयक, 2025, ? (व्यवधान) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, ? (व्यवधान) इन तीनों विधेयकों का अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। ? (व्यवधान) विरोध इसलिए करता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। ? (व्यवधान) आपने भाषण दिया था कि ... लेकिन उनको लेकर आप

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री बनाकर घूम रहे हैं। ? (व्यवधान) इसलिए मैं इस मौके पर कहता हूं कि यह बिल संविधान विरोधी,
मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी है। ? (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय गृहमंत्री जी।
? (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
<u>14.15 hrs</u>
The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

? (व्यवधान)

*m14माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यो, संसद के अंदर आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें।

? (व्यवधान)

15.01 hrs

At this stage, Shri Abhay Kumar Sinha, Sushri S. Jothimani, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near

the Table.

माननीय अध्यक्ष: क्या आप इस तरह की हरकत करेंगे? क्या संसद में आपको इसलिए चुनकर भेजा गया है? कृपया बैठिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आपको देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखिए। यदि आपको विरोध करना है, तो तरीके से कीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या विरोध का यह तरीका उचित है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसद में नैतिकता वाला कोई बिल आ रहा है। राजनीति में नैतिकता और स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद भी आपकी यह स्थिति है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके को सुधार लीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो । आप इस तरफ आइए । क्या आपका यही तरीका है? आप संसद सदस्य हैं, मर्यादा का पालन कीजिए । कभी किसी ने इस तरीके से मर्यादा खराब नहीं की । आप ऐसे मर्यादा को खराब मत करिए । नो ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं आइटम नंबर-20 ले रहा हूं।

15.02 hrs

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

? (व्यवधान)

*m15गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

*m16माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-21.

प्रश्न यह है:

?कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

? (व्यवधान)

*m17श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

*m18माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-22।

प्रश्न यह है :

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

? (व्यवधान)

*m19श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
